

पूर्व मध्य रेलवे
(निर्माण संगठन)

कार्यालय,
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)
पूमरे / महेन्द्रघाट / पटना
दिनांक- 22.04.2020

सं.-ECR/CAO/Con/E/Circulars/2020/A

- All Chief Engineers/Con/ECR/MHX, Patna.
(NE, Central, Planning, North, SE, NW, South & GB).
- CSTE/Con/North, South & HQ/ECR/MHX, Patna.
- CEE/Con/MHX, Patna.
- All Dy. CEs/Con/ MHX, Patna (North, South, TS, Design, General, ROB, PM & Survey)
- All Dy. CEs/Con Of Field Units,
(DNR, RGD, MGS, BRKA, DHN, Renukut, Chopan, Singrauli, HZME-I & II, GB/Patna,
GB/MGR, Hajipur-I & II, Bettiah, NKE SPJ-I, II, III & IV, & Muzaffarpur).
- Dy. CSTE/Con/DNR, DIIN, CPU & SPJ, SPJ-II.
- Dy. CEE/Con/MHX/Patna/North (SPJ), South/MHX & CPU.
- Dy CMM/Con/MHX, Patna.

Sub: - Amendment to IREM Volume- I

Ref: - महाप्रबंधक (का.) / पूमरे / हाजीपुर का पत्र सं.- E/210/O/ECR/HJP, Date:-03.02.2020
(PCPO's Sl. No.-10/2020)

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

संलग्नक-यथोपरि।

DA: As above.

(अरविन्द कुमार शर्मा)
वकाधि / निर्माण

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

Copy to:-

1. Secy. to CAO/Con/South for kind information of CAO/C/South.
2. Secy. to CAO/Con/North for kind information of CAO/C/North.
3. Secy. to CAO/Con/GLP for kind information of CAO/C/GLP.
4. CA/Personnel - for uploading on WEBSITE of Construction Organisation. & disseminating to field unit by concerned nodal officer through e-mail.

कृते मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण

RBE No.05/2020

PCPO's Sl.No.10/2020

No .E/210/O/ECR/HJP

Dated:-03.02.2020

1. CAO (Con) / उत्तर एवं दक्षिण / पटना।
2. सभी PHOD/CHOD, पू.म.रे. हाजीपुर।
3. DRM/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
4. मुख्य कार्मिक अधिकारी / प्रशासन / पू.म.रे / हाजीपुर।
5. मुख्यालय के सभी कार्मिक अधिकारी।
6. CWM/ पीडी / मुगलसराय, यांत्रिक कारखाना / समस्तीपुर / हरनौत।
7. Sr DPO/ पू.म.रे / मुगलसराय, दानापुर, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर।
8. उप महाप्रबंधक / विधि / पटना।
9. प्राचार्य / क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान / मुजफ्फरपुर एवं भूली।
10. सभी मुकार्याधी / कार्याधी / पू.म.रे / हाजीपुर।

विषय : Amendment to IREM Volume - I


संदर्भ : Railway's Boards Lt. No.E(GP)2005/2/69 Dated: 16.01.2020.

विषयांकित से संबंधित संदर्भित पत्र की छायाप्रति सूचना, मार्गदर्शन एवं अग्रोत्तर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

A copy of above referred letter on the subject matter is being forwarded herewith for information guidance and needful onward action please.

सलामतक : गशोपरि।

DA : As above.


(सौरभ साहू) 2/20/20
वकाधि / ई.एस.एम
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक) / हाजीपुर

प्रतिलिपि सूचनाार्थ, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महाराष्ट्र / ई.सी.आर.के.यू. / पू.म.रे. / हाजीपुर।
2. महाराष्ट्र / एस.ओ.सी.ओ. / एस.ओ.टी.ओ. / एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।
3. सहायि (एम.पी.पी.), पू.म.रे / हाजीपुर। कृपया इसे नेट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
4. महाराष्ट्र / ओ.बी.सी.एशोसिएशन / पू.म.रे. / हाजीपुर।

भारत सरकार (राजधानी) कार्यालय
पूर्व-मंत्रालय, नई दिल्ली

000979
24 JAN 2020


GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

27 JAN 2020

RBE No. 05 /2020

रेलवे बोर्ड का पत्र प्राप्ति सं. 14

14
24/1/2020



New Delhi, dt :- 16.01.2020

No. E(GP)2005/2/69

The General Managers,
All Indian Railways and Production Units.

Ruling

Sub: Amendment to IREM Volume I

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President is pleased to direct that the Indian Railway Establishment Manual Vol. I, Revised Edition-1989 (First Re-print Edition-2009), may be amended as in the Advance Correction Slip No. 271 enclosed.

M. Saluja
16/1/20
(Meenakshi Saluja)
Dy. Director/Estt.(GP)III
Railway Board

DA: Advance Correction Slip No. 271

PCPO ✓
PFA

[Handwritten signature]

↓
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
LES 113

[Handwritten signature]

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL
VOL. I (Revised Edition-1989, First Re-print Edition-2009)

ADVANCE CORRECTION SLIP No. 271

Chapter II, Section 'A'—Rules governing promotion of Group 'C' staff to Group 'B' posts.

1. Para 203.1

For the existing para 203.1, substitute the following:

Group 'C' employees working in Level 6 and above in Pay Matrix with 3 years of non-fortuitous service in Level 6 and above in Pay Matrix (including non-fortuitous service rendered in the corresponding pre-revised grade pay) are eligible for Group 'B' Selections(70% quota) in the departments having organised services.

For Selections for promotion to Group 'B' posts in Accounts department, Group 'C' employees fulfilling the abovementioned condition should also have qualified the Appendix-3 IREM Examination.

(Authority: Ministry of Railways' letter Nos. E(GP) 2019/2/25 dated 27.12.2019)

-3-

भारत सरकार/Government Of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)/(Railway Board)

आरबीई सं. 05/2020

सं. ई(जीपी)2005/2/69

नई दिल्ली, दिनांक :- 16.01.2020

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां।

विषय : भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1 में संशोधन.

राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देते हैं कि भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1, संशोधित संस्करण-1989 (प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009), में संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं 271 के अनुरार संशोधन किया जाए.

मी.बा.ई.

(मीनाक्षी सलूजा)

उप निदेशक/स्था(राज. पदो.)।।।।

रेलवे बोर्ड

संलग्न : अग्रिम शुद्धि पर्ची सं 271

HPD/C

-4-

भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1
(संशोधित संस्करण-1989, प्रथम पुनर्मुद्रित संस्करण-2009)

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 271

अध्याय II, खंड 'क' --- समूह 'ग' कर्मचारियों की समूह 'ख' पदों पर पदोन्नति को शासित करने वाले नियम.

1. पैरा 203.1

मौजूदा पैरा 203.1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

समूह 'ग' के वे कर्मचारी, जिन्होंने पे मैट्रिक्स के लेवल 6 या उससे उपर के लेवल में 3 वर्ष की अनाकस्मिक सेवा की हो (तदनुसूची पूर्व संशोधित ग्रेड पे में की गई अनाकस्मिक सेवा सहित) तथा पे मैट्रिक्स के लेवल 6 या उससे उपर के लेवल में कार्यरत हैं, संगठित सेवाओं वाले विभागों में समूह 'ख' में चयन (70% कोटा) हेतु पात्र हैं।

लेखा विभाग में समूह 'ख' में पदोन्नति के लिए चयन हेतु, उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले समूह 'ग' कर्मचारियों को परिशिष्ट 3 भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-1 परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दिनांक 27.12.2019 का पत्र सं. ई(जीपी) 2019/2/25)

B
24/1/2020